

बु.वि./376297/2011/सुझाव पत्र/दि.वि.प्रा./166

Read Central Dy. No. 29
Dated 21/5/12
R&D, Social & Vikas Minar
Director (Pig.) MPR/TC, Delhi Development Authority
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2
Dy.No. 3361
Dated 23/5/12

दिनांक 21/05/2012

सेवा में,
उपाध्यक्ष महोदय,
दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन,
आई एन ए, नई दिल्ली:110023.

आग्रहकर्ता :-
राकेश कुमार,
जी.27, बुद्ध विहार, फेस.1, दिल्ली:110086
मो: 9968241017

विषय:- दिल्ली मुख्य योजना 2021 में परिवर्तन करने पर परिवर्तन करने की अपील!

{ Put the Suggestions Mid term Review MPD-2021 File }

महोदय,

आपके कार्यालय में बु.वि./376297/2011/सुझाव पत्र/दि.वि.प्रा./291, दिनांक: 12/12/2011, एम जोन प्रीतम पुरा खुले मंच के 77 न: के तहत संलग्न बु.वि./ 376297/2011/सुझाव /दि.वि.प्रा./151, दिनांक: 01/05/2012 को प्रेषित करने के बाद आपके कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में अब तक की गई कार्यावाही की कोई जानकारी नहीं दी गई है अतः इस संदर्भ में निम्नलिखित पुनः सुझाव/स्मरण पत्र स्वीकार करने की कृपा करें।

1. राजधानी दिल्ली क्षेत्र की बकाया खेती वाली भूमि पर कंकरीट के जंगल ना बने ऐसी व्यवस्था हो।
2. सब डबीजन व छाटे प्लाटो/मकानो के नक्शे भी पास होने चाहिए।
- 2.1 नक्शे को पास करवाते वक्त पुराने मकानो को पूरा ना तोड़ने का प्रावधान होना चाहिए।
3. जिन क्षेत्रों में मकानो के नक्शे पास नहीं हो सकते उन क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त वास्तुकार के माध्यम से या नक्शे वाले मकानो की तर्ज पर मकानो को बनाने की छूट हो इस संदर्भ में दिल्ली मुख्य योजना 2021 में व बिल्डिंग बाई ला में जरूरी बदलाव किये जाने की जरूरत है, ताकि गरीब आदमियो के मकानो को सिविक ऐजेन्सियों ना तोड पायें।
4. राजधानी दिल्ली कि अनाधिकृत बस्तियों व अनाधिकृत अधिकृत बस्तियों के निवासियों/नियमित वोटो के अनाधिकृत मकान किस प्रकार नियमित हो ऐसी पालिसी बनायें या मौजूदा पालिसी जरूरी बदलाव किये जाने की जरूरत हैं।
5. अनाधिकृत बस्तियों के निवासियों की दुकानो को मिश्रित श्रेणी में शामिल ना करके व्यापारिक श्रेणी में शामिल करने की कृपा करें तथा मानव हानि रहित व्यापारों करने की छूट देने की कृपा करें।
6. आम आदमी को राहत देने तथा सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए राजधानी दिल्ली सभी अनियमित बने मकानो में कुछ बदलाव करके नियमित करने का प्रावधान होना चाहिए।
7. राजधानी दिल्ली सभी अनियमित व नियमित बने मकानो में कुछ बदलाव करके अपने ही मकानो में पार्किंग कि व्यवस्था करने का प्रावधान होना चाहिए, इस संदर्भ मे द्वारा छोटी बडी गाडियो के उत्पादन में नियंत्रण हो यदि दि. वि. प्रा. चाहे तो सरकार को अति आवश्यक सलाह देने की कृपा करें।

पृष्ठ संख्या: 1.

9/11/12
23/5
ADRS/I

8. नये बनने वाले मकानों की उचाई में निम्न तल पर पूरी पार्किंग को 15मी० की हाईट में शामिल ना करने की कृपा करें।
9. प्रोत्साहन राशि सहित 100 मीटर के प्लॉटों में जल संरक्षण के उपायों को जरूरी करने का प्रावधान होना चाहिए।
10. राजधानी दिल्ली के अनाधिकृत बस्तियों व अनाधिकृत अधिकृत बस्तियों तथा गैर दि०वि०प्रा० निर्मित दुकानों से रजि०चार्ज, कनवर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज, व्यावसायिक श्रेणी का सम्पत्ति कर में केवल एक ही लेने की व्यवस्था हो।
11. भविष्य की राजधानी दिल्ली की परियोजनाओं के मध्यनजर सरकार/दि० वि० प्रा० के पास उतनी व्यावसायिक भूखण्ड/दुकानें/इकायियाँ हैं जो आज का मास्टर प्लान-2021 को पूर्णतय लागू करने से बन्द होगी इस संदर्भ में दिल्लीवासियों जीवन यापन के लिए सभी अल्पआय व अति अल्पआय वर्गों की आर्थिक क्षमताओं का ध्यान रखते हुए मकान मालिक द्वारा संवयउपयोग हेतु रिहायशी व मिश्रित श्रेणी को व्यावसायिक लैंड यूज बदलने की आसान प्रक्रिया का प्रावधान भी होना चाहिए।
12. फ्री होल्ड दि०वि०प्रा० निर्मित सिर्फ वह दुकानें जिनकी छत्ते नालीदार सीमेंट कि चादरो की व गोलाईनुमा हैं उन्हें आर०सी०सी० की सीधी छत/सीधी स्लैब डालने की छूट का प्रावधान हों।
13. सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए ली नीजि भूमि जिनका कब्जा पिछले 20 साल से सिविक ऐजेन्सियों के पास नहीं है ऐसी भूमि का ना तो जमींदार व कब्जा धारक ने खुले बाजार भाव से मुआवजा नहीं लिया और ना ही विकल्पिक प्लॉट लिया हैं ऐसी भूमि के नक्शे पास करने का प्रावधान होना चाहिए।
14. सिविक ऐजेन्सियों तथा दूसरे सरकारी निकाय पुनःअवलोकित मास्टर प्लान-2021 दुपयोग कर अनाधिकृत व अनाधिकृत अधिकृत बस्तियों राजधानी दिल्लीवासियों/नियमित वोट को दुखी ना कर सकें।
15. दि०वि०प्रा० द्वारा सभी छोटे बड़े नीजि बिल्डर्स का रजि० कर इनकी कार्यप्रणाली तथा इनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मटेरियल की नियमित जाँच का प्रावधान होना चाहिए।
16. एस०सी०/एस०टी०/ अल्पसंख्यक व अन्यो की तरह आर्थिक व अन्य पिछड़ेवर्गों को राजधानी दिल्ली में सस्ते व किशतों में मकान व भूखण्ड/दुकानें/इकायियाँ देने का प्रावधान जिससे सामाजिक व आर्थिक असमानता दूर हो सकें।
17. राजधानी दिल्ली की सभी सड़कों व संकीर्ण गलियों से छोटे-बड़ी गाड़ियाँ हटवाने का प्रावधान होना चाहिए।

18. राजधानी दिल्लीवासियो/नियमित वोटो को अपने मकानों में बोरिंग करने की छूट देने का प्रावधान हो क्योंकि रिश्वत देकर अब भी बोरिंग हो रहे हैं, पानी राजधानी दिल्लीवासियो की अति आवश्यक जरूरत है।
19. दिल्ली मुख्य योजना 2021 में मौसमी व्यापारो व त्यौहारो के सभी अस्थायी व्यापारो के साथ-साथ आतशबाजी के अस्थायी व्यापार को करने की छूट देने का प्रावधान होना चाहिए।
20. सभी मिश्रित श्रेणी कि सडको को खत्म करके व्यवसायिक सडको में तबदील करने की कृपा करें।
21. ज्वैलर्स के व दस्तकारी के व्यापारो को करने कि भी दिल्ली मुख्य योजना 2021 में शामिल करने की कृपा करें।
22. राजधानी दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रो से माबाईल व इन्टरनेट टावरो को हटवाने का दिल्ली मुख्य योजना 2021 में प्रावधान होना चाहिए।

भवीदय,



राकेश कुमार

सूचना हेतु प्रेषित प्रतियाँ:-

~~अतिरिक्त आयुक्त~~ / निदेशक दिल्ली मुख्य योजना 2021, प्लानिंग दि.वि.प्रा. विकास मीनार नई दिल्ली:110002.

19. दिल्ली मुख्य योजना 2021 में त्यौहारों के सभी स्थायी व अस्थायी व्यापारों के साथ-साथ आतशबाजी के अस्थायी व्यापारों को करने की छूट देने का प्रावधान होना चाहिए।

20. सभी मिश्रित श्रेणी कि सड़कों को खत्म करके व्यावसायिक सड़कों में तब्दील करने की कृपा करें।

21. ज्वैलर्स के व दस्तकारी के व्यापारों को भी दिल्ली मुख्य योजना 2021 में शामिल करने की कृपा करें।

22. राजधानी दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रों से माबाईल व इन्टरनेट टावरों को हटवाने का दिल्ली मुख्य योजना 2021 में प्रावधान होना चाहिए।

भवीदय,

राकेश कुमार

सूचना हेतु प्रेषित प्रतियाँ:-

अतिरिक्त आयुक्त/निदेशक दिल्ली मुख्य योजना 2021, प्लानिंग दि.वि.प्रा. विकास मीनार नई दिल्ली:110002.

बु.वि/336297/सुभाष/2012/151

दिनांक 01/05/2012

सेवा में
उपनिवेशक रजिस्ट्रार,
जी.न.-17, प्रीतमपुरा
नई दिल्ली - 110034

सुभाषकता:-

राजेश कुमार
जी-23, बृहद विहार
फैस-1, दिल्ली-86
(म) 9968241017
913628 2557

विषय: M.P.D-2024 पुनर्निर्माण सुभाष।

सहायक

1. दिल्ली राज्य की परिधि के क्षेत्रफल का कम से कम 35% खेती वाली होनी अति आवश्यक है।
- 1.1 खेती वाली भूमि के मालिकों को खेती करने के एवज में प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए।
2. DDA/DDA के लार्ड के नक्शों को पास करना चाहिए अनधिकृत अनधिकृत नक्शों को पास करने की कागजी प्रक्रिया कम करनी चाहिए।
- 2.1 (क) मालिकाना दस्तावेजों की रजिस्ट्री खोलनी चाहिए।
(ख) नक्शों की तर्ज पर वह मकान जिनके नक्शे पास नहीं हो सकते, M.P.D-2024 के D.B.L. में उन्हें बनाने का प्रावधान है। ताकि उन्हें सिविल एजेंसी तोड़ ना पायें।
3. अनधिकृत वस्तुओं में सभी आवश्यक सुविधाएं मिलें जैसे -
(1) वस्ती अस्थिर नियमित है।
(2) व्यवसायिक गतिविधियाँ करने की व्यवस्था है या छूट देने का प्रावधान है।
(3) सभी सामाजिक सुलभता आवश्यकताएं प्राप्त हैं।
(4) जिस प्रकार सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अनधिकृत वस्तुओं के निवासियों के वोट अस्थिर है क्योंकि सब अनधिकृत हैं/उन्हें अस्थिर करने का प्रावधान व्यवस्था है।
4. आज के परिवेश में दिल्ली के वह निवासी जिनके मकान नहीं हैं या अनधिकृत DDA के पास ऐसी व्यवस्था है इन्हें मकान दिए जायें या रक्षित प्रावधान है।

12. DDA के दुकानों के मालिकों को अपनी वह दुकानें खिन्नी करने चाहिए की है, गोल है उन्हें आज के डिजाइन के अनुसार R.C.C. की इतने डालने का भी प्रावधान है।
13. पुरानी वह भूमि जो MCD / TP के Low Cost Plan में सामाजिक सुविधाओं के लिए गिरी है पर उनका कच्चा Civil Agency के पास नहीं है और कच्चा धारकों ने मुंवावजा लिया, जो Alternative Plot लिए है उनको 20 साल से पुराने कच्चे है उन्हें कच्चा धारकों से ना लिया जाये उनको Side Plan भी पास हो।
14. DDA का सरकार के दूसरे सभी निष्काशों का आपसी समन्वय है।
15. B.B Law को भी जनअंशों के अनुसार भी बदलने की आवश्यकता है।
16. DDA का प्रोडक्ट बिजनेस व कम्पनियां को कार्य प्रणाली व मॉडल की जांच का प्रावधान है।
17. SD/JT व मानिथोरिटिज की तरह OBC को भी दुकाने व गैरमानु कम दरा, किराता में देने का भी MPP 2024 में प्रावधान है।
18. एस्कॉ व स्कॉर्न गलियों में अवैध रक्डी गाडियों व अतिक्रमण को हटवाने का प्रावधान है।
19. DDA व B.B Law के साथ मिलकर सहजता कर समसिक्ल लगाने का प्रावधान है पानी बूल भी आवश्यकता है इसका प्रावधान के सरकारी निकायों का अद्वितीय स्वतंत्र करने में सहयोग कर।
20. ऐसे परिवारों व्यक्तियों को विशेष ध्यान MPP 2024 में ही मिले पास ना सरकारी व प्राइवेट बोररी है और ना माल व व्यवसायिक दुकान लेने की आर्थिक क्षमता है उन्हें अपने भवनों में दुकान खोलने की व्यवसायिक मान्यता दे ना कि मात्र खोलने के ही ऐसा प्रावधान करे।
21. पहले यहां के निवासियों की एजेंडर्स समीक्षा की कुंई का व्यापार रख प्रावधान बनाया जाये।

अवधि

रंजित

राजेश कुमार

(3)

10. रिहायशी क्षेत्रों में मोबाइल व इनटर नेट टावरो को हटवाने की व्यवस्था करें।
11. शहरों में गाड़ियों की बढ़ती तादद् से रिहायशी क्षेत्रों में बढ़ती मुश्किलों से निपटने की व्यवस्था करें।
- (क) 15.5 से 16 मीटर से ऊपर के पुराने व नये सभी भवनों को हाई रेन्ज बिल्डिंग की श्रेणी में रखने की व्यवस्था करें जिससे सभी पुराने भवनों में भी निम्न तल में पार्किंग की व्यवस्था की जा सके यह नियम सख्त पर लागू हो तथा ऐसे सभी पुराने व नये भवनों जिसमें पार्किंग की व्यवस्था की गई है उन्हें सम्पत्ति कर अन्य करों में छूट का प्रावधान हो, व अन्य दूसरे बेहतर उपाय शामिल हो।
12. दिल्ली की सभी नीजि व सरकारी भूमि पर बसी बस्तियों और वह सभी बस्तियाँ जिन्हें प्रोविजनल/अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है ऐसी सभी बस्तियों में ले आउट के बगैर व आसानी से सभी प्लॉटों के कम समय/तय समय में नक्शे पास होने की प्रक्रिया का प्रावधान हो।
- (क) दिल्ली की सभी नीजि व सरकारी भूमि पर बसी बस्तियों और वह सभी बस्तियाँ जिन्हें प्रोविजनल/अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है ऐसी सभी बस्तियों में बने सभी भवनों को नियमित करने की प्रक्रिया सरल व लचीली तथा कम खचीली करके सभी भवनों को नियमित करने का प्रक्रिया/प्रावधान शुरू करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भवन नियमित करने के अवसर प्राप्त हो जिससे सरकार/सिविक एजेंसियों की आय बढ़े।
13. नक्शे पास करने की प्रक्रिया सरल व लचीली तथा कम खचीली होने का प्रावधान हो जिससे सभी नागरिकों के अन्दर नक्शे पास करवाने व सरकार की आय बढ़ाने की भावना जागृत हो तथा अधिक से अधिक नक्शे पास हो।
14. पास नक्शे वाले पुराने मकानों को तोड़ कर उसी पास नक्शे अनुसार बिना सरकारी खर्च के बनाने की छूट का प्रावधान हो।
15. दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पुर्नवालाकन/पुनर्विचार के समय सीमा को पाँच साल से कम कर दो वर्ष करें।
16. अन्य वह सभी सुधार व उपायों को सम्मिलित करें जो आम नागरिकों व व्यापारियों को रिश्वत खोरी से निजात दें।

मवीदय,

राकेश

राकेश कुमार

सूचना हेतु प्रेषित प्रतिया :-

1. अति० आयुक्त/निदेशक दिल्ली मुख्य योजना-2021 प्लानिंग, दि०वि०प्रा० विकास मीनार नई दिल्ली-1100
2. उपाध्यक्ष दि०वि०प्रा० विकास सदन, आई एन ए, नई दिल्ली-110023.

बु.वि. / 376297 / 2011 / सुझाव पत्र / दि.वि.प्रा. / 291

दिनांक: 12 / 12 / 2011

सेवा मे,
आदरणीय कमल नाथ जी,
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.

आग्रहकर्ता:
राकेश कुमार
जी-27 बुद्ध विहार, फेस-1, दिल्ली-110086.
मोबाइल: 9968241017

कुल 3 पृष्ठ

विषय:-दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पुनर्वालाकन/पुनर्विचार की प्रक्रिया में माँगे गये सुझाव हेतु पत्र तथा पुराने पत्रों का स्मरण पत्र !

महोदय,

आपके कार्यालय में दिल्ली मुख्य योजना-2021 परिवर्तन हेतु बु.वि. / 376297 / शु.वि.मंत्रा. / 2011 / स्मरण पत्र / 66-67, दिनांक: 04-04-11, बु.वि. / 376297 / शु.वि.मंत्रा. / 2011 / याचना / 79-80, दिनांक: 11-04-11, बु.वि. / 376 ~~मंत्रा.~~ 297 / शु.वि.मंत्रा. / 2011 / स्मरण पत्र / 97-99, दिनांक: 09-05-11, पत्रों को प्रेषित किया था तथा निदेशक दिल्ली मुख्य योजना दि. वि. प्रा. विकास मीनार में पत्र सें. / 103 / याचना / राकेश कुमार, जी-27 बुद्ध विहार दिनांक: 20-12-2010, बु.वि. / 376297 / 09 / 2011 / दि.वि.प्रा. स्मरण पत्र / 2011, दिनांक: 19-1-10 और आयुक्त एवं सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण को बु.वि. / 376297 / आयुक्त दि. वि. प्रा. / 39 / 2011, दिनांक: 05-03-2011 को दिया व बु.वि. / 376297 / आयुक्त दि.वि.प्रा. / 50-51 / 2011, दिनांक: 05-03-2011 को आयुक्त व निदेशक दिल्ली विकास प्राधिकरण को 14-03-11 को दस्ती दिया तथा बु.वि. / 376297 / आयुक्त व उपाध्याक्ष दि.वि.प्रा. / 2011 / 56-57, दिनांक: 28-03-11 को दस्ती दिया व बु.वि. / 376297 / आयुक्त व उपाध्याक्ष दि.वि.प्रा. / 2011 / स्मरण पत्र / 89-90 दिनांक: 16-05-11 को दस्ती दिया तथा बु.वि. / 376297 / अति. आयुक्त व निदेशक दि.वि.प्रा. / 2011 / 54-55 व 91 दिनांक: 16-05-11 को दस्ती दिया तथा उपाध्याक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण को बु. वि. / 376297 / 2011 / स्मरण पत्र / दि. वि. प्रा. / 42 व 120, 07-03-11 को भी दिनांक: 16-05-11 को दस्ती दिया तथा बु.वि. / 376297 / राज्य पाल कार्या. / 2011 / स्मरण पत्र / दि.वि. प्रा. / 87, दिनांक: 5-05-11 को दिनांक: 9-05-11 दस्ती दिया गया है इन अनेक पत्रों को प्रेषित करने के पश्चात् अब तक उपरोक्त कार्यालयों में से अब तक की गई कार्यावाही सटीक / यथावत् है। दिनांक: 11-12-2011 के समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा दिल्ली मुख्य योजना-2021 के पुनर्वालाकन/पुनर्विचार हेतु सुझाव माँगे गये हैं, इसी संदर्भ में उपरोक्त पत्रों में दिये गये सुझावों को एकत्र करके कृपया निम्न सुझावों को जोड़ कर अवलोकन कर दिल्ली मुख्य योजना-2021 में परिवर्तन करने की असीम अनुकम्पा करें, क्योंकि नियम व कानूनों का इस प्रकार से सरकार / प्रशासन और प्रजा के सर्व वर्गों में समान व उचित समन्वय होना चाहिए जिससे सामाजिक असमान्यता उत्पन्न ना हो तथा नियम व कानूनों का निर्माण इस प्रकार का हो जिससे समाज में सरकार व प्रशासन के प्रति नेक सन्देश जाये ना कि गलत सन्देश जाये जैसा इन्हीं दिनों हुआ है जिसे मिडिया ने दर्शाया भी है दर्शायी गई छवि वास्तव में तुच्छ मात्र है।

अधोहस्ताक्षरी मतानुसार MPD-2021 में होने वाले परिवर्तन पर सुझाव

1. ऐसे स्टॉक/उत्पाद को व्यवसायिक ईकाइयों/दुकानों में रखने से व्यक्तियों के स्वास्थ्य को हानि ना हो उन सभी बेचने वाले उत्पादों को मिश्रित श्रेणी/सड़कों पर करने की छूट का प्रावधान **MPD-2021** में दिया जाये।

2. **MPD-2021** में शहरी निवासियों की त्यौहारों व उत्सवों की आवश्यकताओं के मध्य नजर सभी त्यौहारों के अस्थायी व्यापार की सभी श्रेणियों को **MPD-2021** में को शामिल करने की कृपा करें।
- (क) त्यौहारों व उत्सवों के अस्थायी व्यापारों को करने के लिए सभी क्षेत्रों में अस्थायी व्यापार स्थलों की व्यवस्था करने की कृपा करें।
3. **MPD-2021** के अध्याय संख्या 15-5, 15-6-2, 15-6-3 में शहरी निवासियों की और आवश्यकताओं के मध्य नजर नई स्थायी व अस्थायी व्यापार की श्रेणियों को शामिल करने की कृपा करें, जिससे एक क्षेत्र के निवासियों की सभी आवश्यकताएँ उसी क्षेत्र में पूरी हों।

अथवा

मिश्रित श्रेणी का व्यवसायिक श्रेणी में विलय करने की व्यवस्था करें जिससे व्यवसायिक असमानता खत्म हो।

अथवा

लैन्ड यूज बदलने की प्रक्रिया को आसान बना कर सभी व्यवसायिक ईकाइयों/दुकानों को दि. वि. प्रा. की बनी ईकाइयों/दुकानों के समान दर्जा देने का प्रबन्ध करें।

अथवा

यदि फिर भी मिश्रित श्रेणी रखने की आवश्यकता हो तो मिश्रित श्रेणी की गणना करने के सूत्र 50% से 70% तक के सूत्र को 30% से 50% तक कर सभी अधिसूचित मिश्रित सड़कों को व्यवसायिक श्रेणी में बदलने की व्यवस्था करें।

4. व्यवसायिक सड़कों की गणना करने के सूत्र 70% ^{से} अधिक तक की व्यवसायिक ईकाइयों/दुकानों के सूत्र को 50% ^{से} अधिक तक की व्यवसायिक ईकाइयों/दुकानों के सूत्र में परिवर्तन करने की व्यवस्था करें। तथा बकाया सभी अधिकृत व अनाधिकृत बस्तियों की सड़कों भी समय सीमा के साथ जल्दी अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।

5. मिश्रित श्रेणी व व्यवसायिक श्रेणी की सड़कों के भवनों से सिविक एजेंसियों द्वारा रजिस्ट्रेशन, कनवर्जन, व पार्किंग चार्ज लेने के पश्चात् सिविक एजेंसियों द्वारा फ्री पार्किंग की व्यवस्था हो।

6. सिविक एजेंसियों द्वारा दिल्ली की व्यवसायिक ईकाइयों/दुकानों से व्यवसायिक श्रेणी का सम्पत्ति कर लेने के पश्चात् उस सम्पत्ति को व्यवसायिक दर्जा/श्रेणी प्राप्त हो जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है।

7. सुझाव नम्बर-5 व 6 में केवल एक प्रकार का ही कर लिया जाये या व्यवसायिक सम्पत्ति कर खत्म हो।

8. लाईसेन्स बनाने की प्रक्रिया सरल व लचीली तथा कम खचीली हो या सिविक एजेंसियों द्वारा रजिस्ट्रेशन, कनवर्जन, व पार्किंग चार्ज लेने के पश्चात् रजिस्ट्रेशन व कनवर्जन चार्ज को ही लाईसेन्स की दर्जा/श्रेणी दे दि. वि. प्रा. की बनी ईकाइयों/दुकानों के समान दर्जा देने का प्रबन्ध करें।

9. सिर्फ दि. वि. प्रा. की बनी ईकाइयों/दुकानों से ही व्यवसायिक श्रेणी का सम्पत्ति कर लिया जाये।